

18⁰¹/₂₃

पत्रावली पेशा इंडा। वादीगण डी और से
कोई उपस्थित नही होने पर बार-बार
आवाज लगाने के बमबूद वादीगण एवं
वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।
वादीगण एवं अधिवक्ता अपने द्वारा-
प्रस्तुत वाद को आगे-पुकारने के प्रति -
गम्भीर नही होने के कारण वादी का-
वाद अदम दृजरी एवं अदम पैखी में
खारिज किया जा रहा है। निर्णय आज दिनांक
18/01/2023 को युवे-यायालय में सुनाया
गया। पत्रावली के माध्यम से सुमाट घोरुत बाद
लेख प्रकाशित है।

उप जिला कलक्टर
लवाण

